

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

तखनक: दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय क्रम-

प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली / राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी वर्गों में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्याय, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु काउन्सिल नई दिल्ली की सम्बद्धता/पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पुनर्गठन/प्रवेश क्षमता वृद्धि समिति द्वारा मंजूरी के विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में मं-2 में जिलेवार इन इंजीनियरिंग पठनक्रम संघर्षिता करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहरा विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -
"निजी क्षेत्र में स्थापित विदेशी इन इंजीनियरिंग पठनक्रम संचालित करने वाली विद्यार्थी स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एंज्वाइंटेड/सी/टी/आई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनामत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एंज्वाइंटेड/सी/टी/आई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार प्रत्येक नाम की सम्पूर्ण अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एंज्वाइंटेड/सी/टी/आई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु बदला अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयोजित सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विभागीय स्तरों के अंतर्गत लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पठनक्रम का नाम	एंज्वाइंटेड/सी/टी/आई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	कमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गीतापुर, एनएच-2 गीतापुर, गीतापुर, गीतापुर।	की	मिडिल इंजीनियरिंग	80	80
			इंजिनियरिंग इंजीनियरिंग	80	80
			इंजिनियरिंग इंजीनियरिंग	80	80
			मेकैट्रिकल इंजीनियरिंग	80	80
			मेकैट्रिकल इंजीनियरिंग	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु एंज्वाइंटेड/सी/टी/आई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ प्रत्येक प्रकार प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची-1982, संपेस्ट विनियमसूची-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेंगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन स्तरों पर (एनएच-2) प्रत्येक वर्ष हेतु रु 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो स्तरों पर (सी) प्रतिवर्ष रु 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक स्तर पर (टी) प्रतिवर्ष रु 60,000.00/- प्रतिवर्ष का अनुपालन करेगी। उक्त शुल्क को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जमा कराया जाएगा। उक्त शुल्क को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जमा कराया जाएगा। उक्त शुल्क को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जमा कराया जाएगा। उक्त शुल्क को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जमा कराया जाएगा।


Chairman
Kamal Institute of Technology
 Gita Pur, Ghazipur District, Uttar Pradesh

- प्रायोगिक किया जाता अद्ययावक होना। नीचे निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु प्रोग्राम का पुनर्निर्माण किया जाता है तो प्रोग्राम को री-असेस कर देना होगा।
- ✓ प्रोग्राम को (विषय) प्रयोगिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना।
- ✓ संस्था में अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों का स्थान पर उस की स्थिति में उत्तर प्रदेश प्रोग्राम के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था का सत्र-सत्र पर निर्णय शासन/उच्च के अनुसार परिष्कार एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/एडमिशन से अगामी सत्र हेतु अनुसंधान प्रोग्राम किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रोग्राम द्वारा प्रेषित विधि/विधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विद्यमान प्रयोगिक शिक्षा संस्था समुदाय द्वारा परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्रायोगिक शिक्षा परिषद, उच्च एवं उच्च शिक्षा विभाग, विभागों, विदेशों का शासन करने के लिये काम करनी।
- ✓ विदेशों का इन प्रायोगिक कार्यक्रम को संस्थाएं यदि पीपीआई नई दिल्ली से अनुसंधान प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस लक्ष्य में तत्काल उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उत्तरदायी होगी। प्रायोगिक शिक्षा परिषद, संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रायोगिक शिक्षा निर्देशन एवं प्रायोगिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी कार्य प्रेषित किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संस्था में भी चलाया जायेगा। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अवैध निर्णय किया जाता है तो संस्था प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विदेशों का इन प्रायोगिक कार्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रोग्राम द्वारा प्रेषित करने के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्रारंभ होने के पूर्व एम्प्लॉयमेंट से अनुसंधान प्रोग्राम पर परिषद कार्यवाही को उत्तरदायित्व कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयित) के साध्यन से अथवा संस्था सत्र पर सीटों प्रवेश) अनुसंधान नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्णय शासन/उच्च विभागों का अनुसंधान करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की प्रायोगिक बुकिंग, स्थान, सत्र-सत्र, उच्चकरण प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, छात्रावास सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रयोग हेतु अनुसंधान कार्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ प्रयोग करने के संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रयोगिक/संयोजित कार्यक्रम को चलाने जाने हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराने वाले अखिल, भूमि-सामग्री, कर्मचारी, उच्चकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुसंधान की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुसंधान न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुसंधान कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०पी० सिंह)
सचिव

पुं०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक 15-09-2020

पत्रिका-प्रशासन/निदेशक, कक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, गीतपुर देहापुर, ए०ए०-2 शिवपुर, कागपुर देहापुर।

(डा० आर०पी० सिंह)
सचिव

साधन

Chairman
Kanchi Institute of Tech.
Principal, Kanchi Institute of Tech.

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय सूचना:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कामेसी काउन्सिल ऑफ इंजिनिंग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु छिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से सहायित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गवर्नर पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसकी अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3330-KAMAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PEETAMPUR DERAPUR, N H -2, SIKANDARA, KANPUR DEHAT

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनींग पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0 45000.00/-

Kamal Institute of Technology

Chairman
Kanpur Dehat

Chairman
Kamal Institute of Technology
Peetampur Derapur, N.H. 2, Sikandara, Kanpur Dehat

प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनिर्णयों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दाखल किया जाता है तथा दाखल वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आच्छादन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सफल-सज्जा, उपकारण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेंजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कठमों गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकारण एवं अन्य सफल-सज्जा ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुरोधित व्यवस्था कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


Chairperson
Kansal Institute of Technology
Punjab Suburban Group (Ludhiana)

Kansal Institute of Technology सचिव

Chairman
Kansal Dehat

सूचना- प्रविष्टि/परिष्कृत सभ्यता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021


प्रति,

आचार्य/डिप्टी, KAMAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PEETAMPUR DERAPUR, N H -2, SIKANDARA,
KANPUR DEHAT


(सुनील कुमार सोनकर)

सधिव

Kamal Institute of Technology


Chairman
Kanpur Dehat


Chairman
Kamal Institute of Technology
Peetampur Sikandara (Kanpur Dehat)

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेट्री काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3330-KAMAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	80	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/-


Chairman
Kamal Institute of Technology
Kamapur, Kamapur District

प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होंगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था भरे करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग शेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

[Signature]

(एफओआरओ खान)

सचिव

पु0सं0- प्राधिप/अधिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि:-

प्राध्यापक/निदेशक KAMAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

[Signature]
KAMAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
[Faint text below signature]

[Signature]

(एफओआरओ खान)

सचिव